**बिहार सरकार**
**सहकारिता विभाग**
**पत्रांक.........................../पटना दिनांक.......................**
**01 नि॰/कार्या॰ व्यय (CFMS)–05/2018 (पार्ट)**

सेवा में,

**महालेखाकार (ले॰एवं हक)**
बिहार पटना

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2025–26 में कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के क्षेत्रीय कार्यालयों हेतु कम्प्यूटर एवं अन्य उपस्करों के क्रय हेतु राज्य योजनान्तर्गत आधुनिकीकरण मद में कुल राशि रू0 2,36,00,362/– (दो करोड़ छत्तीस लाख तीन सौ बासठ) मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में।**

**आदेशः–स्वीकृत**

सहकारिता विभाग के अन्तर्गत कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के क्षेत्रीय कार्यालयों में कम्प्यूटर एवं अन्य उपस्करों के क्रय हेतु **कुल रू0 2,36,00,362/–(दो करोड़ छत्तीस लाख तीन सौ बासठ)** मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

**2.** उक्त स्वीकृत राशि वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य योजनान्तर्गत आधुनिकीकरण मद से मांग सं॰–09, मुख्य शीर्ष –2425 सहकारिता विभाग उप मुख्य शीर्ष –00–लघु शीर्ष –001 निदेशन एवं प्रशासन उप शीर्ष –0107 सहकारिता विभाग के कार्यालयों का जीर्णोद्वार विपत्र कोड–09–2425000010107 विस्तृत शीर्ष –13 कार्यालय व्यय विषय शीर्ष –01 कार्यालय व्यय के अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा ।

**3.** कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए कम्प्यूटर एवं अन्य उपस्करों के क्रय हेतु कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए प्राधिकृत संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यथा संयुक्त निबंधक, स॰स॰, संयुक्त निबंधक (अंके॰) स॰स॰, जिला सहकारिता पदाधिकारी, सहायक निबधंक, स॰स॰, जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स॰स॰ एवं प्राचार्य सहकारिता प्रशिक्षण संस्थान, पूसा, समस्तीपुर होगें, जो संलग्न परिशिष्ट के अनुसार कार्यालयवार स्वीकृत राशि की निकासी करेगें।

4. वित्त विभाग द्वारा निर्गत दिशा–निदेश/परिपत्र/नियम के आलोक में कम्प्यूटर एवं अन्य उपस्करों का क्रय किया जायेगा एवं राशि की निकासी Fully Vouched Contigent Bill पर की जायेगी तथा संबंधित आपूर्तिकर्त्ता/फर्म को भुगतान किया जायेगा ।

**5.** इस राशि का उपयोग उसी कार्य के लिए किया जायेगा जिस कार्य के लिए स्वीकृति दी गई है। किसी अन्य मद में इस राशि का उपयोग कदापि नहीं किया जायेगा। इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उत्तरदायी होंगे। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा नियमानुसार जी॰एस॰टी॰ एवं आयकर कटौती की जायेगी।

**6.** निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वित्त विभाग के पत्रांक– 4989/वि(2) दिनांक– 16.05.2013 के आलोक में अंकित तथ्यो का अनुपालन करेगें। साथ ही साथ राशि की

निकासी एवं व्ययन करने में बिहार कोषागार संहिता तथा बिहार वित्तीय नियमावली के सुसंगत प्रावधानों एवं वित्त विभाग, बिहार पटना द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्र/अद्यतन अनुदेशों का अक्षरशः पालन किया जायेगा।

7. इस राशि के अंकेक्षण का अधिकार नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का होगा ।

**8.** इसमें आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–01 नि॰/कार्या॰व्यय(CFMS)–05/2018 (पार्ट) के पृष्ठ संख्या 20/टि0 पर दिनांक–17.07.25 को प्राप्त है।

**9.** इसमें सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना की सहमति संचिका संख्या–01 नि॰/कार्या॰व्यय (CFMS)–05/2018 (पार्ट) के पृष्ठ संख्या 24/टि0 पर दिनांक–30.07.25 को प्राप्त है।

अनुलग्नक–यथोक्त।

ह0/–
**(अभय कुमार सिंह)**
सरकार के अपर सचिव।

**ज्ञापांक** 271 **/पटना, दिनांक** 31/07/2025

**01 नि॰/कार्या॰ व्यव॰ (CFMS))–05/2018** (पार्ट)

**प्रतिलिपि :–** निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1. कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना।
2. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यालय, निबंधक, स॰स॰, बिहार, पटना।
3 वित्त विभाग (बजट शाखा/लेखा शाखा), बिहार, पटना/अवर सचिव, योजना एवं बजट शाखा, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव (प्रभारी बजट शाखा), सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी (प्रभारी लेखा शाखा), सहकारिता विभाग, बिहार, पटना (दो प्रतियों में)/आई॰टी॰ मैनेजर सहकारिता विभाग बिहार पटना।

1
1553
31·07·2025

31·7·25
सरकार के अपर सचिव